RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 30 अप्रैल, 2017 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री मोहित अग्रवाल वर्ष : 13, अंक : 11

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस समय शीतगहों के भण्डारित आलू की निकासी शुरू हो गई है। यह निकासी फर्रूखाबाद क्षेत्र के बाद आगरा क्षेत्र से अधिक हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से निकासी बहुत कम है या बिलकुल भी नहीं है। यह भण्डारित आलू दूर दराज के प्रदेशों को लोड किया जाता है। किसानों के घरों में रखा आलू जल्दी खराब हो जाता है और वह दूर लोडिंग के काम का नहीं रहता। इस प्रकार आलू की निकासी शीतगृहों से बराबर चलती रहती है। भण्डारणकर्ताओं को हमारी सलाह है कि हर भाव पर धीरे–धीरे आलू निकालते रहे। शीतगृहों में भण्डारित आलू की मात्रा अनुमानतः एक करोड़ बीस लाख टन की है, जो कि अगर ध ीरे–धीरे निकलती रही तो बड़े इत्मिनान से 31 अक्टूबर तक या आठ/दस नवम्बर तक सब निकल जायेगी और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं पर यदि अधिक मुनाफे के चक्कर में आलू रोका गया, तो परेशानी हो सकती है।

→

भारत सरकार के कई नियम कड़ाई से पालन करने के लिए आ रहे है, जिनके चक्करों में शीतगृह भी आ रहे है, जिसमें मुख्यतः प्रोविडेन्ट फण्ड, कर्मचारी बीमा स्कीम, न्यूनतम वेतन आदि है। अपना ध्यान रखें। यदि आप किसी भी तरीके से इसके पालन करने में अपने आपको पाते है या आपके कर्मचारी विषयों के सलाहकार सलाह देते है तो अवश्य पालन करें। हमारी तरफ से कोई निर्देश नहीं है। हम केवल यही सलाह देंगे कि यदि इस दायरे में आते हैं तो समय रहते बच सकते है। प्रोविडेन्ट फण्ड की छूट की क्षमा योजना 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2017 कर दी गई है।

हम फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया और कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की आगरा में होने वाली मीटिंग को और अधिक सफल बनाने के लिए कई प्रयत्न कर रहे है। इसमें निम्नलिखित इनामों की घोषणा भी की गई है :–

1. उस प्रदेश को पुरस्कार दिया जायेगा जिसके सदस्य सबसे अधिक आगरा मीटिंग में आयेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश भाग नहीं ले सकता।
2. **प्रगतिशील शीतगृह**, जिसको किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष व सचिव मनोनीत करेंगे। यह हर स्टेट के लिए एक शीतगृह के लिए होगा। जिस सदस्य को मनोनीत किया जाएगा उसका आगरा मीटिंग में शामिल होना आवश्यक है।
3. वह शीतगृहस्वामी जिसने फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया के कार्य में सबसे अधिक सहायता करी है।
4. **तेज प्रगति करती हुई एसोसिएशन**, इसमें पिछले साल जिस एसोसिएशन को यह पुरस्कार मिला हो, भाग नहीं ले पाएगी, व कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश भी भाग नहीं ले पाएगी।
5. **लकी ड्रा** इसमे कई पुरस्कार रखे गए हैं। यह रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर निकाले जायेंगे, जैसे गत वर्ष निकाले गए थे। शर्त वही रहेगी, कि उस समय उस रजिस्ट्रेशन नम्बर के शीतगृहस्वामी का वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

हमें अपने सदस्यों से बड़े प्यारे–प्यारे सुझाव मिलते रहते है। यदि आपका भी कोई सुझाव हो तो हमें भेजिए, जिससे एसोसिएशन के इस प्रकार के आयोजनों की शोभा बढ़े। सदस्यों की भाग लेने की दिलचस्पी बढ़े।

→

शीतगृहों में रूपए के लेन–देन के नए नियमः–

इस सम्बन्ध में आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन ने एक अच्छी पहल की है। और अपने यहाँ आयकर विशेषज्ञों को बुलाकर एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी की विशेष जानकारियाँ निम्न प्रकार है।

Income Tax के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए बिन्दु वैसे तो काफी है, किन्तु उनमें से कुछ खास बिन्दु जिनसे आपका तुरन्त का सम्बन्ध है उन्हें हम यह प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सब अंग्रेजी में है और इन्हें ऐसे का ऐसा प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। वैसे संक्षेप में हम बता दें कि शीतगृह वाले अब किसी भी व्यक्ति या फर्म से 2 लाख रूपए से ऊपर का कैश नहीं लेंगे। ना ही सारे दिन में 2 लाख रूपए का कैश वसूलेंगे और ना ही किसी एक सौदे में लेंगे। इसलिए नकद के सौदे विशेष ध्यान देकर करें। बेहतर होगा नहीं करें। जहाँ तक हो चेक से या ड्राफ्ट से या Electronic Bank Transfer द्वारा ही करें। चेक देते वक्त यह ध्यान रखें कि चेक Account Payee ही होना चाहिए crossed cheque से काम नहीं बनेगा। आप एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 रूपए से अधिक नकद पेमेन्ट नहीं कर सकते। पहले यह छूट 20,000 रूपए थी। आपको सलाह दी जाती है कि इन सब बिन्दुओं को बहुत ध्यान से पढ़े और अमल में लाए। यदि कोई बिन्दु समझ में ना आए तो हमें लिखें।

Recent Amendments

With the new financial year starting from 1st April, 2017, we would like to point out the recent changes which have been brought in by the Income-Tax act and other laws which are effective from 1st April 2017.

1. There has been an Amendment in the Income Tax Act, whereby a new section 269 ST has been introduced we.f. 1st April 2017, which provides that no person either in

→

business or in personal transactions, will receive from any other person an amount of Rs. 2 lacs or more other then by account payee cheque or draft or electronic bank transfer in three conditions.

- Will not accept in aggregate in a day, or
- Will not accept against a transaction, or
- Will not accept against an event or occasion from a person.

To highlight the above three conditions, the examples for the same are

- First in a aggregate during the day you cannot receive Rs. 2.00 lacs or more either against one transaction or cumulatively against different transactions in a day from a person.
- Second scenario, if you have made a bill of sale/service etc of Rs. 3 lacs, then you cannot receive in parts amount in cash aggregating to exceeding Rs. 2 lacs or more against that single invoice bill for a transaction, even on different dates.
- Third situation would arise where an event or occasion takes place and you against that event or occasion take in aggregate amount exceeding Rs. 2 lacs or more, for different services, this can be over multiple days or even split over different year.

So you have to take care not to receive any amount of Rs. 2 lacs or more in a single day, against a single transaction or in aggregate from a person. The penal provisions for this is that a penalty of equivalent amount can be levied by the Income Tax on you.

Other instances of receiving amount exceeding Rs. 2 lacs can be, where we sell old scrap, sale old vehicle or even receive amount against some deals cash gifts from relatives, etc.

By previous amendments last year, the government has already curtailed any advance or sale consideration exceeding Rs. 20,000/- against sale of Land or building or both cannot be received in cash.

2. The Other major amendment which has come is in regard to cash payment cannot be made for an amount exceeding Rs.10,000/- in a day to a person u/s 40A(3) of the IT Act, for any purchase or revenue expenditure or even capital expenditure. Previously →

the limit was Rs. 20,000/-. If the amount is spent more than Rs. 10,000/- in a day, then the same would be disallowed under the provisions of the Income Tax Act and on capital expenditure no depreciation would be admissible. Even, running account payments exceeding Rs. 10,000/- cannot be made other than by account payee cheque and Bank drafts.

3. I would also like to state that in both the above sections the provisions of Income Tax Act are very specific and they mention about account payee cheques or drafts. At many occasions it is seen that people are giving crossed cheques, there is a difference between crossed cheques and account payee cheque, so you should always give payments by account payee checks and never by simple crossed cheques. Make it a point to mention account payee on the cheques.

4. The banks have also started to stringently enforce KYC norms, under which they are asking for the PAN of the account holder and other details like Aadhar Card etc. Now bank account cannot operate without proper PAN, so you have to keep in mind which PAN has to be given for the account. If the account is in individual name, then individual's PAN has to be given, if it is in HUF name then HUF PAN has to be given and if it is a business concern account then business concern PAN only has to be given. Also take care that for one CIF of a bank only one PAN would be allowed, that means, if we have different branches having same CIF then only one PAN would be allowed for all those accounts.

5. Now AADHAR number will be compulsory for filing of Income Tax returns.

6. Revised return under Income Tax can now be filed only upto the close of the assessment year i.e. return for financial year 2016-17 can be filed only upto 31-3-2018. Previously the time was upto two years.

आगरा मीटिंग के सम्बन्ध में :–

हम अपने समस्त सदस्यों को पुनः बता देना चाहते हैं कि फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया व कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की संयुक्त बैठक, हर वर्ष की भांति, आगरा में आयोजित की जा रही है। यह दिनांक 6 व 7 जुलाई, 2017 को होना निश्चित की गई है। पहले इसकी तारीख 29 व 30 जून, 2017 रखी गई थी परन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इसे जुलाई माह में करना पड़ा। हमें सभी–सदस्यों से अपेक्षा है कि आप सबका सहयोग मिलेगा →

तभी इसे सफल से सफलतम बनाया जा सकता है।

इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि इस मीटिंग में अधिक से अधिक सदस्य हिस्सा लें व उचित लाभदायक विषयों पर चर्चा हो। चर्चा करने के लिए यह भी हो सकता है कि हमें विशेषज्ञों की सलाह लेनी पड़े।

हमारा अनुरोध है कि सदस्य हमें अपनी इस राय से अवगत कराएंगे कि वह किन विषयों पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं। उन्ही विषयों पर हम ध्यान देकर सही विशेषज्ञ का इन्तजाम करने की चेष्टा करेंगे।

हर वर्ष की भांति, सारे सदस्यों के ठहरने का प्रबन्ध होटल क्लार्क शिराज में ही किया गया परन्तु इसके लिए आपको पहले से कमरा बुक कराना पड़ेगा। इसके लिए प्रति व्यक्ति 1550/– रूपए प्रति रात्रि (एक कमरे में दो व्यक्ति) देय होंगे। सदस्य 5.7.2017 को दो बजे के बाद कमरा ले सकते है। इस कमरे को दो रात्रि के लिए कमरा लेने वालों को 7 तारीख को दोपहर 12.00 बजे तक खाली करना होगा। यदि घंटे दो घंटे का विलम्ब खाली करने मे लगता हो तो, वह इसकी सूचना दे सकते हैं या सामान निकाल कर सामान काउण्टर पर रख सकते हैं। इसी प्रकार 5 तारीख को यदि कुछ पहले से कमरा चाहिए, तो भी वह सूचित कर सकते हैं। यदि होटल वालों को सुविधा हुई, तो वह पहले से भी कमरा दे देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सदस्य 6 तारीख की सुबह ही पहुँचे और केवल एक रात के लिए कमरा लें।

कृपया ध्यान दें कि 5 तारीख को पैकड लंच का इन्तजाम रहेगा और इसी प्रकार 7 तारीख को पैकड डिनर का इन्तजाम किया जा रहा है। 7 तारीख को ब्रेकफास्ट व इसके बाद लंच के बाद मीटिंग 5 बजे शाम तक समाप्त कर दी जायेगी।

आप अपने कमरे 15 जून, 2017 तक अवश्य बुक करा लें। इस वर्ष कमरों की कमी रह सकती है। इसके लिए आप निश्चित धन को बैंक एकाण्उट में जमा करवा दें।

Bank Details

Bank Account	:	Savings Bank Account Number 680310100014689
Name of Account Holder	:	Federation of Cold Storage Associations of India
Bank address	:	Bank of India, Aishbagh Branch, Lucknow (U.P.) Pin-226004
IFSC	:	BKID0006803

और हमें अवश्य सूचित कर दें, जिससे की हम यह छाँट सकें की किन सदस्यों ने रूपया जमा कराया है। प्रत्येक सदस्य व उसके साथ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 500 रूपया प्रति व्यक्ति

→

रजिस्ट्रेशन फीस देय होगी। इसको होटल के चार्ज के साथ जमा करवा दें। भोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था का कोई चार्ज देय नही होगा। जो लोग केवल 6.7.2017 की सुबह पहुँचेंगे उन्हें अपने ब्रेकफास्ट का प्रबन्ध स्वयं करना होगा। लंच के लिए वह अन्य सदस्यों के साथ आ सकते हैं। इसके लिए कोई धन देय नहीं होगा, केवल रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वे केवल एक रात के लिए कमरा बुक करा सकते हैं जिसका चार्ज मात्र 1550 रूपए होगा।

कृपया ध्यान दें कि हर वर्ष की भांति मशीनरी उत्पादकों व शीतगृह सम्बन्धी अन्य उपयोगी उपकरणों के निर्माताओं के उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी। इस वर्ष इस प्रदर्शनी का क्षेत्रफल पिछले वर्ष से भी बड़ा होगा। इसमें आप अपने लिए उपयोगी मशीनों का चयन कर सकते हैं और मोल भाव भी कर सकते हैं लेकिन किसी भी सौदे में फेडरेशन या कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की कोई गारन्टी नहीं होगी।

अनेक देशों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। हमारे सदस्य इस मीटिंग में पहुँच कर विशेष रूप से अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं।

कर्मचारी बीमा के सम्बन्ध में :–

कृपया ध्यान दें कि चालू कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत औद्योगिक संस्थान आ जाते हैं जिनमें 10 या 10 से ऊपर कर्मचारी कार्यरत होते। लेकिन यह स्कीम उत्तर प्रदेश के केवल निम्नलिखित 41 जिलों में ही लागू होती है, उन जिलों को छोड़कर जिनमें यह स्कीम पहले से चल रही है। इस नए आदेश को हमें यहाँ अंग्रेजी में हूबहू प्रस्तुत कर रहे हैं।

To be published in Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-Sec.(ii)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi

Dated : 09/01/2017

NOTIFICATION

S.O. _____ : In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st January, 2017 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI (except Sub-Section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following districts (excluding the areas already implemented) in the State of Uttar Pradesh namely :- →

Sl. No.	Name of the District
1.	Agra
2.	Aligarh
3.	Allahabad
4.	Amethi
5.	Amroha
6.	Barabanki
7.	Bareilly
8.	Bijnaur
9.	Bulandshahar
10.	Chandauli
11.	Etawah
12.	Farrukhabad
13.	Fathehpur
14.	Firozabad
15.	Gautam Buddh Nagar
16.	Ghaziabad
17.	Ghazipur
18.	Gorakhpur
19.	Hapur
20.	Hardoi

Sl. No.	Name of the District
21.	Hathras
22.	Jhansi
23.	Kanpur Dehat
24.	Kanpur Nagar
25.	Lucknow
26.	Mathura
27.	Maunath Bhanjan
28.	Meerut
29.	Mirzapur
30.	Moradabad
31.	Muzaffarnagar
32.	Raibareilly
33.	Rampur
34.	Saharanpur
35.	Sant Kabir Nagar
36.	Sant Ravidas Nagar
37.	Shahjahanpur
38.	Sitapur
39.	Sonbhadra
40.	Unnao
41.	Varanasi

(No. S-38013 / 49 / 2016-SS.I)

(Ajay Malik)
Under Secretary to the Govt. of India

बिजली सम्बन्धी :

विद्युत विभाग ने विद्युत बिलों के समय से भुगतान कर देने पर एक प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया हैं यह छूट मई माह में बिल भुगतान करने पर दी जायेगी। (दैनिक जागरण लखनऊ, 22 अप्रैल, 2017)

→

सरकार द्वारा आलू की खरीद :–

आलू के गिरते भाव को देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू की खरीद का निर्णय किया है। आलू का सर्मथन मूल्य 487 रूपए प्रति कुन्तल होगा जिसमें 30 से 35 mm व्यास का आलू ही खरीदा जायेगा। आलू छटाई, ग्रेडिंग करा कर लिया जायेगा जो कि साफ, मजबूत वा रोगमुक्त होना चाहिए। कटा, पिटा, हरा, बेडौल, धूप, खाया आलू नहीं खरीदा जायेगा। आलू केवल कृषकों से ही खरीदा जायेगा और भुगतान उनके बैंक खातों में किया जायेगा। खरीद का यह काम NAFED, PCF, UP Agro को दिया गया है। जिला अधिकारी क्रय केन्द्र खोलेंगे। आलू खरीदने के लिए शासन द्वारा भारत सरकार से 7 अप्रैल को प्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई है। हमें यह सूचना समाचार पत्रों से प्राप्त हुई है। किसानों से आलू खरीद में किसी प्रकार की हानि हुई तो उसे भारत सरकार वा राज्य सरकार आधा–आधा वहन करेगी। इसमें अनुमन्य overhead charge भी शामिल है हालांकि हानि क्रय लागत की 25 प्रतिशत सीमा तक ही अनुमन्य होगी। (दैनिक जागरण लखनऊ 12.4.2017 से) यह भी समाचार मिला है कि क्रय केन्द्रों पर आलू नहीं पहुँच रहा है। सपोर्ट प्राइस से आलू के भाव बढ़ गए हैं, इसलिए किसान अपना आलू सीधा मण्डियों में भेज रहा है।

शीतगृहों / Packhouse/Grading/ Collection Centre/ Cold Chain आदि के लिए Impact Tax से छूट व कृषि भूमि भू उपयोग की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया जाना :–

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जो हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है। शीतगृहस्वामियों के लिए विशेष लाभप्रद होगा।

संख्या – 1555 / 8–3–16–126 विविध / 16

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश
2. आवास आयुक्त,
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश
3. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश
4. नियंत्रक प्राधिकारी,
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश

→

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 23 नवम्बर, 2016

विषय : प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत लागू की जाने वाली औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु विभिन्न छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्यान अनुभाग के शासनादेश संख्या–15/एन.बी.–988/58–2014–44/2014 दिनांक 07.11.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें निम्नवत उल्लेख किया गया है :–

1. प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में तुड़ाई के उपरान्त होने वाली क्षतियों को और अधिक कम करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत भी बहुउद्देशीय/बहुकक्षीय शीतगृहों की स्थापना, पैक हाउस, ग्रेडिंग कलेक्शन सेन्टर, समेकित कोल्ड चेन आदि की स्थापना कराये जाने की आवश्यकता कृषक हित में होती हैं उक्त व्यवस्था इस कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की ग्रेडिंग पैकिंग, भण्डारण एवं अवशीतन की सुविधायें कृषकों/उद्यमियों को उनके उत्पादन क्षेत्र के अधिक से अधिक समीप ही उपलब्ध कराने से उनके उत्पादों की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनी रहेगी, किन्तु वर्तमान में उपरोक्त कार्य–कलापों की स्थापना हेतु कृषकों/उद्यामियों को प्रभाव कर (इम्पैक्ट टैक्स) देना पड़ता है।
2. इस प्रकार प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि भूमि पर शीतगृह आदि स्थापित किये जाने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर देय प्रभाव कर (इम्पैक्ट टैक्स) के कारण भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनुदान देकर प्रोत्साहित किये जाने वाले उक्त कार्य कलापों पर प्रभाव करके रूप में कृषकों/उद्यमियों द्वारा शासन को धनराशि का भुगतान करने के कारण शासन द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिये जाने की मंशा पूर्ण ही नहीं होती है तथा कृषक/उद्यमी इस प्रकार की योजनाओं को अपने क्षेत्रों में लागू करने हेतु प्रेरित नहीं हो पाते है।
3. कृषि का व्यवसायीकरण करने एवं कृषकों को उनके उत्पादों का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से उत्पादन स्थल के समीप कृषि भूमि पर इन्टीग्रेटेड पैकिंग एवं ग्रेडिंग केन्द्र, कलेक्शन सेन्टर वैल्यू एडिशन हेतु प्राइमरी प्रसंस्करण इकाई एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त शीतगृह की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्हें प्रमोशनल एक्टीविटीज मानते हुए 'इम्पैक्ट टैक्स' से मुक्त रखने और कृषि भूमि के उपयोग हेतु भू–उपयोग सीमा 10 से 35 प्रतिशत किये जाने की छूट प्रदान करने तथा सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा इस छूट की व्यवस्था विकास प्राधिकरणों द्वारा अन्य सम्पतियाँ पर क्रास सब्सिडाइजेशन से किया गया है। →

4. उक्त शासनादेश यमुना एक्सप्रेस व प्राधिकरण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीडा की अधिसूचित क्षेत्र में लागू नहीं माना जायेगा।

5. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम– 1950 तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियम/नियम/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार विचाराधीन प्रकरणों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सदा कान्त)

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के आन्तरिक गठन में कुछ परिवर्तन :–

कृपया ध्यान दें कि हमने एसोसिएशन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे प्रदेश के लिए तीन Regional Coordinator का गठन किया है। यानी पूरे प्रदेश को तीन भागों में बाँट दिया है। इन तीन भागों के तीन Regional Coordinator अपने–अपने भाग के उपाध्यक्षों की प्रगति की समीक्षा करते रहेंगे।

कुल मिलाकर 14 उपाध्यक्ष रहेंगे जिसमें श्री त्रिलोचन सिंह सलूजा जी, अभी उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहेंगे जब तक की उनकी जगह कोई दूसरा उपाध्यक्ष मनोनीत न हो जाए। नीचे दिए हुए चार्ट के अनुसार उपाध्यक्ष वा Regional Coordinator रहेंगे।

1. कृपया ध्यान दे कि 15 जून तक हर उपध्यक्ष को अपने क्षेत्र की एक मीटिंग बुलाना अनिवार्य होगा। मीटिंग का खर्च कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश देने को तैयार है जिसकी सीमा अधिकतम 10,000 रूपए होगी।

2. उपाध्यक्ष अपने नीचे जितने भी जनपद आते है हर जनपद का एक अध्यक्ष, सचिव, व कोषाध्यक्ष मनोनीत करेगे।

3. इस मीटिंग में निम्न विषयों पर चर्चा होनी है :–

   (i) जनपद का कुल भण्डारण प्रतिशत में

   (ii) निकासी की रफ्तार

   (iii) शीतगृहस्वामी कौन से नियमों को जानना चाहते हैं जैसे रूपए के लेन–देन के बारे में, प्रोविडेन्ट फण्ड के बारे, जी.एस.टी. के बारे मे आदि।

   (iv) नए शीतगृह कितने आए है वा कितने सदस्य बनने बाकी है।

   (v) कोई भी विषय जो उपाध्यक्ष उचित समझे।

→

इस मीटिंग की पूरी जानकारी लिखित रूप से Regional Coordinator को अवश्य भेजें। उचित होगा की आप Regional Coordinator को भी आमंत्रित करें। Regional Coordinator सारी रिर्पोट बना के लखनऊ कार्यालय में भेजेंगे। जिन उपाध्यक्षों से हमें उत्तर नहीं मिलेंगे हम समझ लेंगे कि वह किसी भी कारण यह दायत्वि उठाने में असमर्थ हैं।

कृपया ध्यान दें कि श्री मोहित अग्रवाल, सचिव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व श्री विरेन्द्र सिंह, सचिव, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरी शक्ति से संगठन को अपना योगदान दे रहे हैं।

<u>पश्चिमी क्षेत्र</u>

श्री गिर्राज कुमार मेहश्वरी, अलीगढ़
रीजनल कोआर्डिनेटर, पश्चिमी उ.प्र.
जी.जी. आइस एण्ड
कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.
इग्लास, अलीगढ़ उ.प्र.
मो. : 9756333333, 9410882976
ई–मेल : girrajgodani@hotmail.com

श्री अजय गुप्ता, आगरा
श्री विनोद अग्रवाल, अलीगढ़, बुलन्दशहर, खुर्जा
श्री रविकान्त अग्रवाल, हाथरस, मथुरा
श्री सुधीर चन्द्र गोयल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर
श्री राम गुप्ता, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, गौतमबुद्ध नगर

<u>मध्य क्षेत्र</u>

रीजनल कोआर्डिनेटर
श्री बलवीर जैन, फिरोजाबाद
एच.एल. जैन आइस एण्ड
कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.
एन.एच–2 आगरा रोड़, टुण्डला,
जिला–फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश
मो. : 9412254482, 09719012814
ई–मेल : vikas1822@yahoo.com

श्री सुभाष अग्रवाल, बदायूँ, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर
श्री गोपाल सिंह, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज
श्री अनिल कुमार कटियार, फर्रूखाबाद, मैनपुरी
श्री दीक्षित, कन्नौज, हरदोई, औरैय्या, इटावा, उन्नाव
श्री पवन जैन, झाँसी

<u>पूर्वी क्षेत्र</u>

रीजनल कोआर्डिनेटर, पूर्वी उ.प्र.
श्री त्रिलोचन सिंह सलूजा, कानपुर
सलूजा कोल्ड स्टोरेज
111–ए/20बी, अशोक नगर,
कानपुर–208440 उत्तर प्रदेश
मो. : 9936426555
ई–मेल : trilochansaluja@hotmail.com

श्री बृजेश अग्रवाल, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोण्डा, अम्बेडकर नगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी
श्री अरविन्द अग्रवाल, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर
श्री ओ.पी. गीरी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, वाराणसी, गोरखपुर, संत कबीर नगर, पडरौना, महाराजगंज

→

शीतगृहों में न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में :

हमें सरकार से न्यूनतम मजदूरी के बारे में एक निर्देश मिला है जिसे हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। इस सरकारी आदेश में बढ़ा हुआ महँगाई भत्ता बताया गया है। इस तरह के सरकारी आदेश हम पहले भी प्रकाशित कर चुके हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत राजाज्ञा स0 194/36–3–2014–07 (न्यू0व0)/04, दिनाक 26.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय महँगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महँगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दैनिक दर 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 के औसत अंक 278 (दो सौ अठत्तर) पर दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक परिवर्तनीय महँगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा :–

दृष्टांत : रूपये 5750 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 278 पर दिनांक 1.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक देय परिवर्तनीय महँगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगा :–

$$\frac{(278-216)}{216} \times 5750 = 1650.46 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियो को देय प्रति माह मूल मजदूरी परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरे निम्नवत् हैः–

क्रम	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रु. में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रु. में)		दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक	
			दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक	दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक	कुल मजदूरी (रु. में)	दैनिक मजदूरी (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	1464.12	1650.46	7400.46	264.63
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	1610.53	1815.51	8140.51	313.10
3	कुशल	7085.00	1804.05	2033.66	9118.06	350.72

नियोजनों के नाम :–

43. कोल्ड स्टोरेज।

(ए.के. गुप्ता) उप श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश
कृते श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित